

के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA 2006 का प्रमाण-पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.10.2014 को निर्गत पत्रा निर्गत के तहत)

संख्या 3020/17 दिनांक 20/11/17

प्रमाणित किया जाता है कि अरिया जिले में प्रयोज्य एवेली राष्ट्रीय उच्च पथ, प्रमंडल, अरिया द्वारा एम्बलवा-2011 के के किमी० 99.00 से किमी० 101.00 (भागमोहब्बत एवं वैजवायपुरा) तक के Land Clearing (L.C No- KJ45) हेतु प्रयोज्य एवेली के आवेदन पर वन प्रमंडल पर्यावरण, अरिया के पत्रांक 1350 दिनांक 07.09.2017 द्वारा FRA - 2006 प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु अनुमति प्रदान किया गया है।

तदुपलोक में प्रस्ताव के संविधान प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (स्कीम-1) में वर्णित के लिये अप्रयोजित होवे वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातों की अभिलेखित आबादी नहीं है।

स्थान : अरिया

तिथि : 20/11/17

जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर
एवं मोहर

OR

Certified that forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as forest less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as the Census - 2001 and the census - 2011

Place : Araria

Date : 20/11/17

District Magistrate
and Office seal